

क्रमांक 4116(2)2017/762
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर
भोपाल-462003
दूरभाष 2552646, 2552878 फैक्स 2552406.

Email ID-encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 17/07/2018

प्रति,

मुख्य अभियंता (समस्त)
जल संसाधन विभाग,
..... मध्यप्रदेश।

विषय :- कर्मचारियों का डाटाबेस-मतदान कर्मियों की व्यवस्था।

संदर्भ :- (1) म प्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक 1520/2369/2018/1/4
भोपाल, दिनांक 29.06.2018

(2) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 80/2018/4/80/2018/4/
Randomization/6558/भोपाल, दिनांक 23.06.2018


-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र क्रमांक-2, में दिये गये निर्देशानुसार आपके अधीन पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की जानकारी समय सीमा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार



दो पत्र(छायाप्रति)


अधीक्षक यंत्रो (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17/07/2018

पृ.क्रमांक 4116(2)2017/763
प्रतिलिपि :-

- 1 उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 2 उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 3 आयुक्त, भू-अर्जन एवं पुर्नवास बाण सागर, रीवा।
- 4 आयुक्त, काडा, भोपाल।
की ओर सूचनार्थ।

5 बैव मैनेजर (वैबसाईट) प्रदर्शन हेतु। (2 छायाप्रति)


अधीक्षक यंत्रो (प्रशासन)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, भोपाल


मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

कमांक: 1520/2369/2018/1/4

भोपाल, दिनांक 29/06/2018

शासन के समस्त विभाग।
मध्यप्रदेश, भोपाल।

R
व्यक्तिगत
A
27/7/18

विषय: कर्मचारियों का डाटाबेस - मतदान कर्मियों की व्यवस्था।

उपरोक्त विषयक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल से प्राप्त पत्र कमांक 80/2018/4/Randomization/6558-6559 दिनांक 23/06/2018 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ कृपया निर्देशानुसार अनुरोध है कि जिलों में आपके विभाग से संबंधित सभी अधिकारियों को पाबंद करें कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय सीमा में कर्मचारियों-अधिकारियों की जानकारी तथा चुनाव ड्यूटी लगाने पर अधिकारी-कर्मचारी उपलब्ध करावें।

संलग्न - यथोपरि

Amith 29/06/18
(डॉ. अमिताभ अवस्थी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

A
29/06/18

पृ. कमांक: /2369/2018/1/4

भोपाल, दिनांक /06/2018

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल, की ओर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

उप. सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष -2550488, 2550446, 2551282, फैक्स-0755-2555162

E-mail : chiefelectoralcommissionermp@gmail.com, website : ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क. : 80/2018/4/Randomization/6558

भोपाल, दिनांक 23.6.2018

ज.क. 12/911
28-06-18

प्रति;

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)
मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (कम - 4)
पंजी.क. 2369
दिनांक 28-06-2018

विषय : कर्मचारियों का डाटाबेस-मतदान कर्मियों की व्यवस्था।

कृपया आगामी विधानसभा चुनाव 2018 के संदर्भ में मतदान दलों तथा विभिन्न भतिविधियों के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका के अध्याय-तीन में मतदान दलों, मतदान कर्मियों की व्यवस्था बाबत विस्तृत निर्देश दिए हुए हैं इनका तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों तथा लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 26, 159, इत्यादि का अवलोकर, अध्ययन करें।

जिले में पदस्थ केंद्र शासन/राज्य शासन इत्यादि के अधिकारियों, कर्मचारियों की जानकारी बुलाकर आयोग के निर्देशानुसार डाटाबेस तैयार करने के कार्य की प्रगति से अवगत करावें। डाटाबेस में सभी सभी अधिकारी कर्मचारियों को EPIC नंबर, विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र/पार्ट का नाम, नंबर, मतदाता सूची में नाम का सरल क्रमांक, मोबाइल नंबर, निवास एवं आफिस का पूरा पता इत्यादि होने की पुष्टि भी करें साथ ही जिले में पदस्थ सभी के पात्रतानुसार अधिकारी, कर्मचारियों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे।

चुनाव ड्यूटी देते समय अधिकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता, पे-स्केल को ध्यान में रखे जाने के आयोग के निर्देश हैं उनका पालन किया जावे।

जिले में मतदान दलों, विभिन्न नोडल अधिकारियों, सेक्टर आफिसर/मजिस्ट्रेट, माइको आर्बर्जर, गणना सहायकों, पलाईंग स्क्वाड, सुरक्षा कर्मियों, परिवहन दलों इत्यादि हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की आवश्यकता का आकलन कर पर्याप्त मात्रा में मैनपावर उपलब्ध होने की पुष्टि करें। यदि जिले में मैनपावर की कमी हो तो संभागीय आयुक्त को मांग भेजकर पूर्ति करावें। डाटा बेस तैयार करने की प्रगति से प्रति सप्ताह अवगत करावें।

सु. ति. पदा. व. AES द्वारा
(सु. ति. पदा. व. AES)

एस.एस.बंसल
सचिव, विधि (निर्वाचन)

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।
2. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन की ओर भेजकर लेख है कि सभी विभागों को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि वे जिले के सभी अधिकारियों को पाबंद करें कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को समय-सीमा में कर्मचारियों, अधिकारियों, की जानकारी उपलब्ध करावें तथा चुनाव में ड्यूटी लगने पर अधिकारी, कर्मचारी उपलब्ध करावें।
3. संचालक, एन.आई.सी. विध्याबल भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि जिलों के सभी जिला सूचना अधिकारी को डाटाबेस तैयार करने के लिए निर्देश प्रदान करें तथा डाटाबेस तैयार करवाना सुनिश्चित करावें। इस हेतु बनाये गये साफ्टवेयर को आयोग के निर्देशानुसार अपडेट किया जाने/होने की पुष्टि भी करें, आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण भी आयोजित कर प्रशिक्षित करें। इस हेतु किसी अधिकारी को राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी बनाकर अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर सभी जिलों को तथा इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें। समय-समय पर आयोजित बैठक में भी नोडल अधिकारी उपस्थित हो, यह सुनिश्चित करें।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) की ओर भेजकर लेख है कि आपके संभाग के जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपरोक्त कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए पाबंद करें तथा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मांग अनुसार अन्य जिलों से अमला उपलब्ध करावें, प्रति सप्ताह स्टेटस भेजें।
5. श्री राजेश श्रीवास्तव, उ.प.मुनिप. (प्रशिक्षण प्रभारी) की ओर भेजकर लेख है कि डाटाबेस तैयार कराने के संबंध में आयोग के अद्यतन निर्देश अनुसार जिलों को प्रशिक्षित करवाने की कार्यवाही करें।
6. रिटर्निंग अधिकारी/सह. रिटर्निंग अधिकारी (समस्त विधानसभा 230) की ओर भेजकर लेख है कि अधिकारी, कर्मचारियों का आकलन कर मांग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराकर पर्याप्त मैन पावर की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
7. श्री प्रभास जैन, श्री राजीव जैन, श्री विनय देशमुख, श्री राहुल बाघनरे डाटाबेस तैयार करने के संबंध में सभी जिलों को तकनीकी सहयोग तथा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित करने/करवाने की कार्यवाही कर डाटाबेस तैयार करवाना सुनिश्चित करें।
8. शाखा प्रभारी (समस्त शाखा) कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर भेजकर लेख है कि डाटाबेस के संबंध में आयोग के निर्देशों की जानकारी (यदि शाखा में हो तो) जिलों को, प्रशिक्षण शाखा को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

23.6.18
एस.एस.बंसल
सचिव, विधि (निर्वाचन)